



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 789]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2016/कार्तिक 20, 1938

No. 789]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2016/KARTIKA 20, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1065(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) स्कीम, 2016 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 72 के उपपैरा (6) में,--
(क) "नियोजित नहीं रह जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "पचपन वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् सेवानिवृत्त या पूर्णतः विदेश में प्रवासित" शब्द रखे जाएंगे ;
(ख) "या स्थानांतरण, जैसा भी मामला हो" शब्दों का लोप किया जाएगा ;
(ग) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि किसी स्थापन द्वारा मुकद्दमेबाजी या चूक के कारण अनुपूरक अभिदायों के परिणामस्वरूप किसी सदस्य के प्रति शोध्य किसी ऐसी धनराशि या किसी दावे को, जिसका परिनिर्धारण कर दिया गया है, किंतु सदस्य से संबंधित न होने के कारण परिदत्त किए बिना वापस हो जाता है, अपरिवर्तनशील खाते में अंतरित नहीं किया जाएगा।"

(फा.सं. जी-20031/1/2016-एस.एस.-II)

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1509, तारीख 2 सितम्बर, 1952 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1035(अ.), तारीख 2 नवम्बर, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2016

G.S.R.1065(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Sixth Amendment) Scheme, 2016.
(2) It shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 72, in sub-paragraph (6),-
 - (a) for the words "ceased to be employed", the words "retired from service after attaining age of fifty-five years or migrated abroad permanently" shall be substituted;
 - (b) the words "or transfer, as the case may be" shall be omitted;
 - (c) after the proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that if any amount becoming due to a member, as a result of supplementary contributions on account of litigation or default by the establishment or a claim which has been settled but is received back undelivered not attributable to the member, shall not be transferred to the inoperative account."

[F. No. G-20031/1/2016-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub section (i) vide notification number S.R.O. 1509 dated the 2nd September, 1952 and was lastly amended vide notification number G.S.R. 1035 (E) dated 2nd November, 2016.